न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 35/2012 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2012/00064

उनवान

1. सियाराम
2. धर्म सिंह
3. महेन्द्र

} पुत्रान कमल सिंह जाति गुर्जर निवासी नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामवती पुत्री हरेती पत्नी हरीलाल
2. चन्द्रवती पुत्री हरेती पत्नी रामचरन

} जाति जाटव निवासी वेमन तह0 किरावली हाल नि0 नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 15.12.2011 उनवानी रामवती बनाम सियाराम मु0न0 262/11

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 23.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 15.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवरी नियुक्त किये जाने विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नगला तुला तहसील रूपवास में स्थित है। जिस पर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट को प्रार्थीगण/रैस्पो0 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप ना करने बाबत् पाबन्द किया हुआ है। अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट एक ताकतवर व झगडालू

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रवृति के व्यक्ति हैं तथा गूजर जाति के हैं। वह जबरदस्ती लट्ठ के बल पर प्रार्थी/रैस्पो0 की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर रिसीवरी कायम करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से विवादित आराजी पर तहसीलदार रूपवास को रिसीवर नियुक्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने उनकी बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रैस्पो0 व उनके पूर्वज हरेती का विवादित आराजी से कभी कोई संबंध सारोकार नहीं रहा है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 के गैर खातेदारी इन्द्राज कतई गलत एवं खिलाफ मौका हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रिसीवर नियुक्ति एक अत्यन्त कठोरतम उपाय है जिसमें एक पक्षीय प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलांट विवादित भूमि में अपना हित स्पष्ट नहीं करता है। बल्कि रेस्पोंडेंट के पक्ष में राजस्व अभिलेख में हो रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजो को विधि विरूद्ध बताता है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार एग्रीव्ड है, यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2064–67 के खाता संख्या 363 में वर्णित विवादित आराजी पर रैस्पो0 बतौर गैर खातेदार दर्ज हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त साबित होता हो। तर्क के लिए अपीलाण्ट का कब्जा माना भी जावें, तो वह अवैध की श्रेणी मे माना जावेगा एवं अवैध कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट को नियमानुसार कोई अधिकार सृजित नही होते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट का कब्जा विवादित आराजी पर साबित नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित किया है रैस्पो0/प्रार्थीनी जाटव जाति की होने से व अपीलाण्ट/अप्रार्थी गूर्जर जाति के होने की वजह से रैस्पो0/प्रार्थीनी की आराजी को जबरन नष्ट करते रहते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नही पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 15.12.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official